

प्रेस नोट जनपद रामपुर

दिनांक 16.11.2021

twitter-@rampurpolice

FB-रामपुर पुलिस

Telegram-@rampurpolice

01-थाना शहजादनगर:-हत्या में एक अभियुक्त गिरफ्तार

थाना शहजादनगर जनपद-रामपुर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा आज दिनांक 16-11-2021 को थाना शहजादनगर पर तहरीरी सूचना दी कि कल शाम परविन्द्र पुत्र जगदीश निवासी ग्राम चमरपुरा थाना शहजादनगर ने घर में घुसकर चाकू से वार कर उसकी पत्नी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में थाना शहजादनगर पर मु0अ0सं0-262/21 धारा 302,452 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त परविन्द्र को चमरपुर बाग से गिरफ्तार कर लिया गया है। संज्ञान में यह भी आया है कि परविन्द्र व मृतका के आपस में अवैध सम्बंध थे। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-थाना शहजादनगर:-1484 बोरी एन0पी0के0 उर्वरक का गबन करने में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 15-11-2021 को वादी श्री प्रवीण कुमार जिला प्रबन्धक अधिकारी पी0सी0एफ0 जनपद रामपुर द्वारा थाना शहजादनगर, रामपुर पर तहरीरी सूचना दी कि प्रभारी कृषक सेवा केन्द्र, शहजादनगर फईम अहमद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी बहादुरगंज थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद द्वारा अपने प्रभार में रखे उर्वरक में से 74.00 एमटी (1484 बोरी) एन0पी0के0 उर्वरक जिसका मूल्य 17,58,540 रुपये होते हैं का गबन कर लिया गया। वादी श्री प्रवीण कुमार उपरोक्त की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना शहजादनगर पर मु0अ0सं0-261/2021 धारा 420/409 भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में थाना शहजादनगर, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त फईम अमहद पुत्र अब्दुल वहीद निवासी बहादुरगंज थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

03-थाना टाण्डा:-हत्या का प्रयत्न, मारपीट, गाली गलौच, जान से मारने की धमकी देने में तीन अभियुक्तगण गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16.11.2021 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी स्वार जनपद

रामपुर के कुशल नेतृत्व में थाना टाण्डा पुलिस द्वारा दिनांक 12.11.2021 को थाना टाण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 425/2021 धारा 307/323/324/504/506 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1-इमरान पुत्र फारूख 2-इस्तेकार पुत्र कबूल 3-इन्तेजार पुत्र जुम्मा नि0गण ग्राम परशुपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर को ग्राम परशुपुरा से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त इस्तेकार की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त किया गया चाकू ग्राम रैंका नंगला की कब्रिस्तान से बरामद किया गया। इस सम्बन्ध में थाना टाण्डा पर मु0अ0सं0 428/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम इस्तेकार पुत्र कबूल निवासी ग्राम परशुपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1-इमरान पुत्र फारूख निवासी गराम परशुपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

2-इस्तेकार पुत्र कबूल निवासी ग्राम परशुपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

3-इन्तेजार पुत्र जुम्मा नि0गण ग्राम परशुपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

बरामदगी का विवरण

अभियुक्त इस्तेकार की निशानदेही पर अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त एक अद्द चाकू नाजायज बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मचारीगण-

1-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह

2-हेड का0 421 दुर्जेन्द्र त्यागी

3-हेड का0 325 योगेन्द्र सिंह

4-का0 312 विपिन सिरोही

04-थाना कोतवाली:-तीन वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16-11-2021 को थाना कोतवाली, रामपुर पुलिस द्वारा तीन वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण:-

01-अंशु रास्तोगी पुत्र रूप किशोर रस्तोगी निवासी नया गंज थाना कोतवाली, रामपुर।

02-मोबीन उर्फ शाहीन पुत्र स्व0 हफीज खॉ नि0 सराय गेट थाना कोतवाली, रामपुर।

03-गुलशेर पुत्र रहमे इलाही निवासी घेर मर्दान खॉ थाना कोतवाली, रामपुर।

05-थाना बिलासपुर:-दो वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16-11-2021 को थाना बिलासपुर, रामपुर पुलिस द्वारा दो वारण्टी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण:-

01-हरपाल पुत्र हरचरन निवासी ग्राम मुल्लाखेडा थाना बिलासपुर, रामपुर।

02-संजय पुत्र जागनलाल निवासी ग्राम कुर्थिया थाना बिलासपुर, रामपुर।

06-थाना अजीमनगर:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 16-11-2021 को थाना अजीमनगर, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त सनव्वर पुत्र महबूब निवासी जटपुर थाना अजीमनगर, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

07-थाना मिलक:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 16-11-2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त रोहित पुत्र बलराम सिंह निवासी होली चौक अस्टुल्लापुर कस्बा व थाना मिलक, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।